

16/5/17

26/4/17

वकील पार्सी एवं पार्सी स्वयं अनुपस्थित। अधिवक्ता
 के वकील उपस्थित। वकील अधिवक्ता के अधीन वकील
 एवं पार्सी (वकील अनुपस्थित रहने के कारण) पर खारिज करने का
 निर्देश दिया। वकील पार्सी एवं स्वयं पार्सी के अलावा उनके
 लड़के वर वर आवेण्ड दिलवाइ गई परन्तु उनकी कोई भी कोई
 उपस्थित नहीं आया है। अतः नए एक एगिडी नए पार्सी
 के खारिज किया जाता है। निम्न ईमेल सुमार है।

है

उपखण्ड अधिकारी
 मसूदा (अजमेर)

~~26/4/17~~
 26/4/17

